राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2984/2023

डॉ. प्रज्ञा शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–II विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2023
आदेश की दिनांक : 08.01.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता सितंबर 2022 से वेतन जारी नहीं करने और दिनांक 20.5.2023 के अभ्यावेदन पर विचार नहीं करने और न्याय की मांग के लिए नोटिस दिनांक 3.10.2023 पर विचार नहीं करने और निर्णय नहीं लेने के लिए चुनौती दे रहा है। अपीलकर्ता का कहना है कि आदेश दिनांक 09.09.2021 द्वारा उसे एसएमओ/जेएस स्त्री रोग विज्ञान के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। इसके अनुपालन में अपीलार्थी ने पंडित दीन दयाल राजकीय हॉस्पिटल, गंगोरी बाजार, जयपुर में एसएमओ/जेएस के पद पर दिनांक 11.09.2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। सीनियर रेजिडेंटशिप पूरी करने के बाद अपीलार्थी को प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर, एसएमएस अस्पताल द्वारा दिनांक 21.6.2022 के आदेश के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर में शामिल होने के लिए राहत दी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 12.08.2022 को एक बच्चे को जन्म दिया (अनुलग्नक–8)। बच्चे के जन्म के कारण, अपीलार्थी फरवरी 2023 तक मातृत्व अवकाश पर थी और उस अवधि के दौरान अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–9) द्वारा सीएचसी गीजगढ़, दौसा से स्थानांतरित कर दिया गया था। मातृत्व अवकाश के कारण अपीलार्थी उपस्थित नहीं हो सकी और उसके बाद अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसमें अपील संख्या 905/2023 डॉ. प्रज्ञा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के दिनांक 27.09.2022 के आदेश को चुनौती दी गई और माननीय अधिकरण ने दिनांक 28.02.2023 को

अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया। अपीलार्थी ने निदेशालय जयपुर में अपनी ज्वाइनिंग प्रस्तुत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और फिर भी उसे ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी गई, यहां तक कि वह मातृत्व अवकाश पर थी और उसके बाद अपीलार्थी निदेशालय जयपुर के कार्यालय में उपस्थित हो रही है, लेकिन कोई उपस्थिति नहीं दी गई और अपीलार्थी का वेतन आज तक जारी नहीं किया गया है।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का वेतन नियमित रूप से एवं सितम्बर 2022 से सभी लाभों के साथ बकाया वेतन जारी करने के निर्देश दिया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य